बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 188303 / पटना, दिनांक 12/06/14

सं०सं०-ग्रा०वि०- 6/म०प्र०पदा० एवं प्र०पदा० (ए०सी०पी०)-30/13

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- **महिला प्रसार पदाधिकारी एवं प्रसार पदाधिकारी के विगत पाँच वर्षो का अद्यतन गोपनीय चारित्री एवं अद्यतन अभिप्रमाणित सेवा पुस्त उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के अंतर्गत् कार्यरत महिला प्रसार पदाधिकारी एवं प्रसार पदाधिकारी को सेवा सम्पुष्टि एवं ए0सी0पी0 दिये जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है । कतिपय महिला प्रसार पदाधिकारी एवं प्रसार पदाधिकारी का पाँच वर्षो का अद्यतन गोपनीय चारित्री एवं अद्यतन अभिप्रमाणित सेवा पुस्त इस विभाग को उपलबध नहीं कराया गया है । इस संबंध में पूर्व में भी अनेक बार स्मारित किया जा चुका है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि अपने-अपने जिले से बचे हुए महिला प्रसार पदाधिकारी एवं प्रसार पदाधिकारी की अद्यतन पाँच वर्षो का गोपनीय चारित्री एवं अद्यतन अभिप्रमाणित सेवा पुस्त इस विभाग को दिनांक- 20.06.2014 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि उन्हें, ससमय सेवा संपुष्ट करते हुए ए0सी0पी0 का लाभ दिया जा सके ।

सेवा पुस्त निर्धारित अवधि तक प्राप्त नहीं होने पर ए0सी0पी0 से वंचित पदाधिकारियों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे ।

विश्वासभाजन

12/06/14

(मनोज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक 188303 / पटना, दिनांक 12/06/14

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अपने-अपने जिले से संबंधित शेष महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रसार पदाधिकारी की अद्यतन अभिलेख / कागजात ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

12/06/14

विशेष कार्य पदाधिकारी